

डिफ्री बमुकदमें ईब्लादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-215 / 2019

1. राधेश्याम } पि० बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी  
2. नरेश कुमार } जिला हनुमानगढ।  
वादीगण

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र लालचन्द्र } जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
2. चन्द्रपती पत्नी बनवारीलाल } जिला हनुमानगढ।
3. नाथी देवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासी चक्कां तहसील रानियां जिला सिरसा।
4. अंगुरी पुत्री बनवारीलाल पत्नी पुरुषोत्तम जाति कुम्हार निवासी शिव चौक सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
5. निर्मला पुत्री बनवारीलाल पत्नी राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी चक्कां तहसील रानियां जिला सिरसा।  
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी महावीरप्रसाद वर्मा मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिफ्री दी जाती है प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 7 एफटीपी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 83/66 में प०न० 219/244 मु० 5 किला नं० 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै०मु० खाला, 7,14,15, 16,17,23,24 कुल 2.024 है० नहरी मय गै०मु० भूमि के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 7 एफटीपी के खाता सं० 83/66 में से प्रतिवादीसं० 1 बनवारीलाल पुत्र लालचन्द्र का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....



( मीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी